राजस्थान राज्य

बनाम

श्री उमराओ सिंह

सितंबर 29,1994

[एम. एन. वेंकटचलिया, सी. जे. और एस. मोहन, जे.]

सेवा विधि–राजस्थान सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (सेवा में रहते हुए मृत्यु) नियम, 1975: नियम 5.

अनुकंपात्मक नियुक्ति–नियुक्ति के पश्चात उच्चतर पद के लिए दावा–अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार एक पद स्वीकार किए जाने के पश्चात विचार किए जाने का अधिकार को समाप्त समझा जायेगा– उच्चतर पद के लिए आगे या दूसरा विचार नहीं किया जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा उच्चतर पद के दावे पर विचार करने का निर्देश देना उचित नहीं माना गया।

अभ्यास और प्रक्रियाः उच्च न्यायालय के विरूद्ध अपील– प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण अपील विलम्ब से योजित की गयी– उचित रूप से समझाई गई और क्षमा कर दी गई।

प्रत्यार्थी के पिता की उप–निरीक्षक, सी. आई. डी. (विशेष शाखा) के रूप में कार्यरत रहते हुए मृत्यु हो गई। । इसलिए, प्रत्यार्थी को अनुकंपात्मक के आधार पर अवर श्रेणी निचले विभाग के प्रत्यार्थी लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके पश्चात उक्त नियुक्ति को स्वीकार करने के बाद, उसने उप–निरीक्षक के रूप में नियुक्ति की मांग की, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। उसने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका योजित की और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के विभागों की भर्ती (सेवा में रहते हुए मृत्यु) नियम, 1975 के नियम 5 के प्रावधान के अनुसार उप–निरीक्षक पद पर नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी–राज्य ने खंड पीठ के समक्ष एक विशेष अपील को प्राथमिकता दी जिसे विलम्ब के आधार पर निरस्त कर दिया गया। इस न्यायालय में अपील में अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि (i) खंड पीठ द्वारा विलम्ब को माफ करने में विफलता के परिणामस्वरूप गंभीर अन्याय हुआ है; (ii) प्रत्यार्थी लिपिक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार करने के पश्चात उप–निरीक्षक के उच्चतर पद पर आगे दावा नहीं कर सकता है।

यह न्यायालय, अपील को अनुमति देते हुए,

अभिनिर्धार्ति : 1. प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण विलम्ब क्षमा करने में में विफलता से अन्याय

परिणत हुआ क्योंकि एकल न्यायाधीश का निर्णय एक निकृष्ट अधिकारिक है। इसलिए विलम्ब को माफ कर दिया जाता है।

2. प्रत्यर्थी ने एल. डी. सी. के रूप में नियुक्ति स्वीकार कर ली। इसलिए, अनुकंपात्मक के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का उनका अधिकार समाप्त हो गया था। एक बार अधिकार समाप्त हो जाने के पश्चात अनुकंपात्मक के आधार पर किसी उच्चतर पद के लिए आगे या दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। अन्यथा, यह 'अंतहीन अनुकंपा' का प्रकरण होगा।

3. उप–निरीक्षक या पुलिस के रूप में नियुक्त होने की योग्यता एक बात है, चयन की प्रक्रिया एक और बात है। मात्र तथाकथित योग्यता के कारण उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को इस विचार के लिए प्रेरित किया गया कि राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती (सेवा में रहते हुए मृत्यु) नियम, 1975 के नियम 5 के प्रावधान के अन्तर्गत निर्देश जारी किया, जिसका इस प्रकरण के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। यद्यपि निर्देश मात्र प्रत्यर्थी के मामले पर विचार करने के लिए था, फिर भी उच्च न्यायालय उप–निरीक्षक के पद के लिए प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी पर आगे विचार करने का निर्देश देना कानूनी रूप से उचित नहीं था।

हरियाणा राज्य बनाम नरेश कुमार बाली **जे. टी. [1994] 4 एस. सी. 184; पर आश्रय किया।**

दिवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दिवानी अपील सं. 6492/94.

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 20.9.93 में डी०बी०एस०ए० 481/1993.

अपीलार्थी की ओर से अरुणेश्वर गुप्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सुशील कुमार जैन।

निम्नलिखित निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिया गया

मोहन, जे. लीव मंजूर।

तथ्य एक संकीर्ण दिशा–निर्देश में निहित हैं।

प्रत्यर्थी के पिता की मृत्यु वर्ष 1988 में तब हुई जब वह सी. आई. डी. (विशेष शाखा) में उप–निरीक्षक, के रूप में कार्यरत थे। प्रत्यर्थी ने अनुकंपात्मक के आधार पर नियुक्ति के लिए अपीलार्थी को आवेदन किया। अनुकंपात्मक के आधार पर उसे 14.12.1989 को अवर श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था। एल. डी. सी. के रूप में नियुक्ति स्वीकार करने के बाद, उसने उप–निरीक्षक के रूप में नियुक्ति की मांग

किया। जिसे अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकृति से व्यथित होकर उसने एस०बी०सी०डब्लू०पी० संख्या 3875/1992 योजित किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय दिनांकित 6.8.1992 द्वारा राजस्थान सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (सेवा में रहते हुए मृत्यु) नियम, 1975 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 5 के प्रावधान के अन्तर्गत उप–निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया। विचार निर्णय की तारीख से छह माह के अन्दर करने के निर्देश दिया था। इस निर्णय की शुद्धता का दावा करते हुए, अपीलार्थी द्वारा विशेष अपील संख्या 481/1993 योजित की गई थी। इसे 112 दिनों की विलम्ब के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार, वर्तमान दीवानी अपील प्रस्तुत की गयी।

अपीलार्थी राज्य की ओर से दो वैकल्पिक तर्क प्रस्तुत किये गये हैंः

(i) उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मात्र विलम्ब के आधार पर अपील खारिज करने में गलती की है। ऐसा विलम्ब प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण घटित हुआ था जिसे उचित रूप से समझाया गया था। विलम्ब को क्षमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप गम्भीर अन्याय हुआ है।

(ii) गुण–दोष के आधार पर, अपीलार्थी के पास एक अच्छा प्रकरण है। हरियाणा राज्य बनाम नरेश कुमार बाली, जे. टी. 1994 (4) एस. सी. 184 में इस न्यायालय ने अधिक या उससे कम समान परिस्थितियों अनुकंपात्मक के आधार पर उम्मीदवारी पर विचार करने के लिये उच्च न्यायालय के निर्देश को अपास्त कर दिया, जब ऐसे अनुकंपात्मक आधार पर, उम्मीदवार को लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था। निर्णय का अनुपात स्पष्ट रूप से इस प्रकरण पर लागू होगा। एक बार जब प्रत्यार्थी ने लिपिक के रूप में नियुक्ति स्वीकार कर ली जो नियुक्ति अनुकंपात्मक आधार पर की गयी थी, तो वह उप–निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिये आगे दावा नही कर सकता है। यह स्वर्णकालिक अनुकंपा का प्रकरण नहीं हो सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह निर्देश देकर गलती की है कि नियम 5 के परंतुक के अन्तर्गत प्रत्यार्थी के प्रकरण पर निर्णय की तिथि से छह माह के अन्दर विचार किया जाना चाहिये।

इसके विरूद्ध, प्रत्यार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रह किया है कि क्योंकि अपीलार्थी राज्य ने 112 दिनों के विलम्ब को उचित रूप से नहीं समझाया था, अतएव न्यायालय ने अपील निरस्त करना उचित समझा है। खण्ड पीठ अपने में निहित क्षेत्राधिकार का उचित प्रयोग किया है।

गुण–दोष पर, आग्रह किया जाता है कि अपीलार्थी के पास कोई प्रकरण नहीं है। वास्तव में, वह

व्यवस्था जिस पर अपीलार्थी द्वारा निर्भरता रखने की मांग की जाती है, प्रत्यर्थी का समर्थन करती है। इस न्यायालय ने कथन किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा विचार के लिए मात्र एक निर्देश जारी किया जाना चाहिए न कि नियुक्ति का निर्देश दिया जाना चाहिये। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यथार्थ यही किया है। यह राज्य के लिए खुला है कि वह निर्देश के अनुसार विचार करे और किसी न किसी तरह से किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। इसके स्थान पर उसने एक विलंबित अपील का सहारा लिया था। इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

यह एक ऐसा प्रकरण है जिसमें खण्ड पीठ के समक्ष एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरूद्ध 112 दिनों के विलम्ब से विशेष अपील प्रस्तुत की गयी है। हम पाते हैं कि प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण विलम्ब हुआ था। विलम्ब को क्षमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप अन्याय हुआ है, जैसा कि सही आग्रह किया गया है अपीलार्थी राज्य की ओर से क्योंकि विद्वान एकल का निर्णय न्यायाधीश एक निकृष्ट अधिकारक है। इसलिए हम विलम्ब को क्षमा करते है। हम मामले को खण्ड पीठ को विप्रेषित करने के स्थान पर गुण–दोष के आधार पर निस्तारित के लिए कार्यवाही करते हैं। ऐसा करने की आवश्यकता निम्नलिखित से स्पष्ट होगी।

> निसन्देह प्रत्यार्थी के पिता दिनांक 16.3.1988 को सी. आई. डी.(विशेष शाखा) में उप–निरीक्षक, के रूप में कार्यरत रहते हुए मृत्यु हो गई थी। प्रत्यर्थी ने रिक्तता की उपलब्धता के अनुसार उप–निरीक्षक या एल. डी. सी. के रूप में अनुकंपात्मक के आधार पर अपनी नियुक्ति के लिए 8.4.1988 पर आवेदन दायर किया। उनकी याचिका पर विचार करने पर, उसे आदेश दिनांकित 14.12.1989 के द्वारा एल. डी. सी. के पद पर नियुक्त किया गया था। उसने एल. डी. सी. के रूप में नियुक्ति को स्वीकार किया। इसलिए, अनुकंपात्मक के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार का अधिकार समाप्त हो गया है। अनुकंपात्मक के आधार पर आगे कभी कोई विचार नहीं किया जाएगा। अन्यथा, यह 'अनन्तहीन अनुकंपा' का प्रकरण होगा। पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने की योग्यता एक बात है, चयन की प्रक्रिया एक और बात है। मात्र तथाकथित योग्यता के कारण उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश को इस विचार के लिए प्रेरित किया गया कि नियमों के नियम 5 के परंतुक के अन्तर्गत निर्देश जारी किया जाए जिसका कोई अनुप्रयोग इस प्रकरण के तथ्यों से नहीं है।

करेंगे। हमने उसी निर्णय के अनुच्छेद 15 में अपने मन का संकेत दिया था।यह नीचे लिखा हैः

> "यद्यपि प्रत्यर्थी ने दावा किया कि उसने एक शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया

> था परन्तु अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने उसे शिक्षक के पद के लिये नहीं चुना था क्योंकि उसके पास आवश्यक योग्यता नहीं थी। वास्तव में, प्रत्यर्थी ने लिपिक के रूप में नियुक्ति हेतु कोई आपत्ति नहीं की और शिक्षक पद के लिए विचार के लिए उसने नियुक्ति के एक साल बाद दावा किया। इस प्रकार, नियुक्ति योजना के अनुसार अनुकंपात्मक के आधार पर पूर्ण किया गया था। (जोर दिया गया)

इसलिए, जैसा कि हमने पहले संकेत दिया था, एक बार अधिकार समाप्त हो जाने के बाद, अनुकंपात्मक के आधार पर किसी उच्चतर पद के लिए कोई और या दूसरा विचार उत्पन्न नहीं होगा।

थी लेकिन यहाँ निर्देश मामले पर विचार करने का था। फिर भी, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय उप–निरीक्षक के पद के लिए प्रत्यार्थी की उम्मीदवारी पर आगे विचार करने का निर्देश देने में विधिक रूप से उचित नहीं था। दीवानी अपील की अनुमति दी जाती है और अवर न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को उलट दिया जाता है, प्रत्यार्थी की रिट याचिका निरस्त की जाती है। हर्जे के विषय में कोई आदेश नहीं होगा।

टी०एन०ए० अपील की अनुमति दी गई।

अनुवादक –

अभिषेक कुमार ॥
अपर सिविल जज (जू०डि०), एटा।